भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2035** जिसका उत्तर

मंगलवार, **22 सितंबर**, 2020/31 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों पर अग्निशमन सुविधाएं

†**2035. श्री कुलदीप राय शर्मा :**

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

श्री डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस. :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पत्तनों की संख्या का ब्यौरा क्या है जो पेट्रो-रसायन उत्पादों के आवागमन का कार्य देखते हैं;

(ख) क्या पत्तनों पर मौजूदा अग्निशमन सुविधा से एलपीजी एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की हैंडलिंग में सहायता नहीं मिलती;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का देश के प्रमुख पत्तनों पर अग्निशमन सुविधाओं को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि अभिनिर्धारित की गई है; और

(च) सरकार का एलएनजी तथा एलपीजी कार्गो में वृद्धि के दृष्टिगत प्रमुख पत्तनों में अग्निशमन सुविधाओं को कब तक बढ़ाने का विचार है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) सभी महापत्तन अपने पत्तनों में रसायन उत्पादों के आवागमन की संभलाई की क्षमता रखते हैं। महापत्तनों में एलपीजी की संभलाई के साथ-साथ अन्य पेट्रो-रसायन उत्पादकों के लिए अग्निशमन सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(घ) से (च) सभी महापत्तन अपने पत्तनों में एलएनजी तथा एलपीजी की बढ़ती मांग के अनुसार समय-समय पर अग्निशमन सुविधाओं का उन्नयन करते हैं। महापत्तनों में अग्निशमन सुविधाओं के उन्नयन और संवर्धन की अनुमानित लागत के लिए लगभग 263.75 करोड़ रूपए की राशि अभिनिर्धारित की गई है।

*****